

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/३८६२

दिनांक: 12/6/2019

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री कलजीत सिंह	सफाई निरीक्षक - II	पीलीबंगा	सुजानगढ़

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम मे कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एव कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- वर्ष 2018 मे लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची मे नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/19/३८६२-३९१

दिनांक : 12/6/2019

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
- महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका
- उपनिदेशक (क्षेत्रिक) स्थानीय निकाय विभाग
- संबंधित कर्मचारी श्री । ।
- सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)  
उप निदेशक (प्रशासन)